संख्या-24/7/76- का-प्रसको /2003

प्रेषक

मुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ :: दिनांक :: मई28, 2003

विषय:-प्रशिक्षण संस्थानों को विशिष्ट सुविधायें अनुमन्य कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 जून, 2002 के क्रम में, सत्कार भत्ते के संबंध में जारी स्पष्टीकरण से संबंधित भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-13024/1/2002-प्रशिक्षण -11 दिनांक 20फरवरी, 2003 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।

संख्या-24/7/76(1)-का-प्रसको/2003 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. महालेखाकार(प्रथम/द्वितीय)उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी)उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त(सामान्य)अनु0-1/इरलाचेक अनु0।

आज्ञा से,

(मुइयाँदीन)
विशेष सचिव।

कृपया 30.-